भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **4814**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 28 मार्च, 2025/7 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाना है।

घरेलू यूरिया उत्पादकों के लिये निर्धारित घटक

4814. श्री परषोत्तमभाई रुपाला:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) घरेलू यूरिया उत्पादकों के लिए निर्धारित घटक को पिछली बार कब संशोधित किया गया था;
(ख) क्या सरकार ने कुछ वर्ष पहले राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, कृभको और सहकारी यूरिया उत्पादकों के लिए वर्ष 2014 में यथा घोषित 2300 रूपये प्रति मीट्रिक टन की नीति को लागू करने हेतु निर्धारित घटक के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए समिति गठित की है;
(ग) यदि हां, तो समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा कार्यान्वयन की स्थिति क्या है; और
(घ) इस मामले में व्यय विभाग के साथ हुए पत्राचार का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): यूरिया इकाइयों के लिए नियत लागत घटक को दिनांक 08.03.2007 को अधिसूचित नई मूल्य निर्धारण स्कीम-III के तहत वर्ष 2002-03 के लागत आंकड़ों के आधार पर पिछली बार संशोधित किया गया था। उसके बाद, उर्वरक विभाग ने मौजूदा यूरिया इकाइयों के लिए 2 अप्रैल 2014 को संशोधित एनपीएस-III जारी की, जिसमें सभी इकाइयों को 350 रुपए प्रति मीट्रिक टन की अतिरिक्त नियत लागत का भुगतान; 30 वर्ष पूर्ण कर चुके और गैस में परिवर्तित यूरिया संयंत्रों को 150 रुपए प्रति मीट्रिक टन के विशेष प्रतिफल; और 2300 रुपए प्रति मीट्रिक टन की न्यूनतम नियत लागत या वर्ष 2012-13 के दौरान विद्यमान वास्तविक नियत लागत, जो भी कम हो, का भुगतान शामिल है।

तथापि, दिनांक 30.03.2020 की अधिसूचना के जरिए, संशोधित एनपीएस-III से 2300 रुपए प्रति मीट्रिक टन की न्यूनतम नियत लागत का प्रावधान हटा दिया गया था, जबकि संशोधित एनपीएस-III के बाकी प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया गया था।

(ख) से (घ): व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की इस टिप्पणी के अनुसार कि यूरिया इकाइयों की लागत से संबंधित मामलों को जांच और सिफारिश के लिए वित्त मंत्रालय में मुख्य सलाहकार (लागत) को भेजा जा सकता है, उर्वरक विभाग ने व्यय विभाग से अनुरोध किया कि मुख्य सलाहकार (लागत) संशोधित एनपीएस-III के तहत 2300 रुपए प्रति मीट्रिक टन की न्यूनतम नियत लागत के प्रावधानों को पूर्वव्यापी प्रभाव अर्थात 2 अप्रैल 2014 से बहाल करने के संबंध में जांच करें और अपनी सिफारिशें दें। मामले की जांच की जा रही है।

****